हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तृतीय सत्र

मंगलवार, 28 अगस्त, 2018/6 भाद्रपद,1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

दिन के लिए

पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री किशन कपूर,खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान (तोल और माप), वर्ग-II(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एफ.डी.एस.-ए(3)-2/2016 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

(3) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-II(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र.ए.-बी.(2)-5/2016 दिनांक 23.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.05.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पर आधारित तथा **वित्त विभाग(आधिक्य)** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 पर आधारित तथा **वित्त विभाग(आधिक्य)** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 70वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित** से सम्बन्धित है;और

(ii) समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 4.2,4.3, 4.4 व 4.5 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **दसवां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को राहत प्रदान करने की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सैनिक कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है ।

(5) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **8वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्राथमिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **5वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है ।

(6) **श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के **21वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(7) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **7वां कार्रवाई प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

(1) श्री मुकेश अग्निहोत्री
(2) श्री हर्षवर्धन चौहान } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश की ऊर्जा नीति में किए गए संशोधन पर यह सदन चर्चा करे।"

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

(1) श्री अनिरूद्ध सिंह
(2) श्री विक्रमादित्य सिंह
(3) श्री मुकेश अग्निहोत्री } प्रस्ताव करेंगे कि:

"शिमला शहर की पेयजल समस्या पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171 004
दिनांक: 27 अगस्त, 2018

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)